THOMAS EKKA
Digitally signed by THOMAS EKKA
Date: 2024.11.28 11:16:18 +0530

# <u>न्यायालय अपर मोटर दुघर्टना दावाधिकरण, राजनांदगांव (छ0ग0)</u>

## (पीठासीन अधिकारी श्री थॉमस एक्का )

**मो0दु0दावा प्रकरण कमांक 180/2022**
**संस्थित दिनांक 16.7.2022**

1. राम विलास आत्मज स्व0 प्यारीलाल जाति मोची, आयु लगभग 55 वर्ष.
2. श्रीमती सिया बाई धर्मपत्नी रामविलास आयु लगभग 53 वर्ष.
3. कुमारी अश्वनी आत्मज रामविलास आयु लगभग 32 वर्ष.

तीनों निवासी ग्राम हालेकोसा पोष्ट भंडारपुर, तहसील छुरिया, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

.............................................**<u>आवेदकगण</u>**,

**।। वि रू द्ध ।।**

1. ओरिएन्टल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड व्दारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय स्टेशन रोड, एल आई.सी.ऑफिस के पास, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
2. रामगोपाल यादव आत्मज अर्जुन लाल यादव वाहन स्वामी मोटर सायकिल कमांक–सी.जी.08 ए.एम. 1509,निवासी वार्ड नंबर–4, छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
3. श्रीमती सरिता पिता विश्राम उम्र 25 साल, जाति मोची, निवासी ग्राम अमरईटोला (देवभटटी) पोष्ट व थाना कोदगुल, जिला गढचिरोली(महाराष्ट्र)

......................................**अनावेदकगण**

---

**आवेदकगण की ओर से श्री एन0के0गंजीर, अधिवक्ता।**
**अनावेदक कमांक–01 की ओर से श्री डी0के0जैन, अधिवक्ता।**
**अनावेदक कमांक 02 की ओर से श्री टी0नागेश राव, अधिवक्ता।**
**अनावेदक कमांक–03 की ओर से श्री ध्रुवेन्द्र साहू, अधिवक्ता।**

---

## // अधिनिर्णय //
**( आज दिनाँक 27.11.2024 को पारित)**

1. आवेदकगण (मृतक अश्वन झुलेकर के विधिक प्रतिनिधियों) ने धारा 166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत यह दावा मोटर दुर्घटना में अश्वन झुलेकर की मृत्यु होने के कारण 44,00,000.00 रूपए(अक्षरी चौंवालीस लाख रूपये) क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध पेश किये हैं।

2. आवेदकगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8.10.2019 को मृतक अश्वन झुलेकर अनावेदक कमांक–2 रामगोपाल यादव के स्वामित्व की मोटर सायकिल कमांक सी.जी.08 ए.एम.1509 से छुरिया से अपने घर ग्राम हालेकोसा आ रहा था। उसी समय शाम के साढे सात बजे ग्राम घोघरे राईस मिल के पास, मृतक कन्हैया कुमार मोटर सायकिल हीरो एच. एफ. डीलक्स कमांक सी.जी.08 ए.एल.4562को तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से मृतक अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर दिया, उस एक्सीडेंट से अश्वन झुलेकर को गंभीर चोटें आयीं। मेकाहारा हॉस्पिटल, रायपुर में ईलाज के दौरान अश्वन झुलेकर की मृत्यु दिनांक 1.11.2019 को हो गई।

3. मोटर सायकिल कमांक सी.जी.08 ए.एल. 4562 के चालक

कन्हैया कुमार के विरूद्ध थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 175 / 2019 दर्ज हुआ था। उक्त मोटर सायकिल के चालक कन्हैया कुमार की भी उक्त एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई,इसलिए उक्त मोटर सायकिल चालक कन्हैया कुमार के विरूद्ध खात्मा चाक् किया गया।

4. मृतक अश्वन झुलेकर की ईलाज में लगभग 4,00,000.00 रूपये खर्च हुआ है। आवेदकगण अपनी कृषि भूमि को विक्रय करके और अन्य लोगों से कर्ज लेकर ईलाज कराये हैं। मृतक अश्वन झुलेकर 25 वर्ष का था और छुरिया में वाहन चलाने का काम करता था, जिससे प्रतिमाह 15,000.00 रूपये आय अर्जित करता था। एक्सीडेंट से अश्वन झुलेकर की मृत्यु होने के 6 महिना बाद उसकी पत्नी श्रीमती सविता कहीं चली गई, इसलिए श्रीमती सविता मृतक अश्वन झुलेकर की आश्रित नहीं है।

5. मृतक अश्वन झुलेकर के व्दारा चलाये जा रहे मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम.1509 के स्वामी अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव की बीमा पॉलिसी घटना के समय जीवित थी अर्थात उक्त मोटर सायकिल की बीमा पॉलिसी दिनांक 17.9.2019 से दिनांक 16.9.2020 तक के लिए जीवित थी। आवेदक रामविलास मृतक अश्वन झुलेकर के पिता हैं। आवेदिका श्रीमती सिया बाई मृतक अश्वन झुलेकर की मॉ है और आवेदक क्रमांक–2 कुमारी अश्वनी मृतक अश्वन झुलेकर की बडी बहन है,इसलिए आवेदकगण विभिन्न मदों में 44,00,000.00 रूपये अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का निवेदन किये हैं।

6. अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी ने दावा को इंकार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन किया है कि मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम.

1509 के चालक मृतक अश्वन झुलेकर दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहना था। मृतक अश्वन झुलेकर वैध एवं प्रभावशील लायसेंस के बिना उक्त मोटर सायकिल को चला रहा था, इसलिए दावा निरस्त किया जावे। दुर्घटना के समय मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल. 4562 के चालक कन्हैया कुमार धनकर भी बिना ड्रायविंग लायसेंस के मोटर सायकिल को चला रहा था, इसलिए बीमा की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। बीमा की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण दावा निरस्त योग्य है।

7. आवेदकगण के व्दारा बढा चढाकर ईलाज का खर्च बताया गया है। आवेदकगण के व्दारा मृतक अश्वन झुलेकर की आय को बढा चढाकर बताया गया है। मृतक अश्वन झुलेकर के व्दारा चालक का कार्य करने और उसकी आय प्राप्त करने के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। मृतक अश्वन झुलेकर के विरूद्ध भी थाना छुरिया में अपराध दर्ज किया गया है। दुर्घटना में अश्वन झुलेकर की भी योगदायी उपेक्षा है। मृतक अश्वन झुलेकर और मृतक कन्हैया कुमार धनकर के व्दारा वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस के बिना मोटर सायकिल को चलाया जा रहा था, इसलिए बीमा की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण आवेदकगण अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के विरूद्ध दावा को निरस्त किया जाए।

8. अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव ने दावा को स्वीकार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन किया है कि वह मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम.1509 का स्वामी है। उक्त मोटर सायकिल की बीमा पॉलिसी अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी से कराया है,जो दिनांक 17.9.2019 से

दिनांक 16.9.2020 तक की अवधि के लिए वैध है। मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल. 4562 का चालक कन्हैया धनकर के व्दारा तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट किया गया है,इसलिए अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटना के समय मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम. 1509 अनावेदक क्रमांक–1 के पास बीमित थी, इसलिए भी अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है,अतः अनावेदक क्रमांक–2 के विरूद्ध दावा को निरस्त किया जावे।

9. अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सविता झुलेकर ने दावा को स्वीकार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन की है कि उसके पति अश्वन झुलेकर की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई है। अश्वन झुलेकर की मृत्यु के बाद आवेदकगण शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे, इसलिए वह मायके में जाकर निवास कर रही है। अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सविता झुलेकर मृतक अश्वन झुलेकर की पत्नी होने के कारण आवेदकगण के साथ साथ वह भी क्षतिपूर्ति राशि पाने की अधिकारी है, इसलिए आवेदकगण के साथ साथ अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सविता झुलेकर को भी क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई है, जिसका सकारण निष्कर्ष उनके समक्ष दिया जा रहा है :–

| क्र. | वादप्रश्न | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| **1.** | क्या, मृतक कन्हैया धनकर ने दिनांक 8.10.2019 को मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल.4562 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ग्राम घोघरे राईस किमल के पास मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित किया ? | **" हॉ '** |
| **2.** | क्या, उक्त घटना में मृतक अश्वन झुलेकर की योगदायी उपेक्षा है ? | **"हॉ 50 प्रतिशत '** |
| **3.** | क्या, उक्त घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल. 4562 अनावेदक क्रमांक–1 के पास बीमित थी ? | **' हॉ"** |
| **4.** | क्या, घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर एवं अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव के व्दारा बीमा की शर्तो का उललंघन किया गया ? | '' **नहीं** '' |
| **5.** | क्या, आवेदकगण अनावेदकगण से उक्त दुर्घटना में अश्वन झुलेकर की हुई मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं? | आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 03 श्रीमती सरिता कुल 12,09,476.00 रूपए अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। |
| **6.** | सहायता एवं वाद व्यय ? | अधिनिर्णय की अंतिम कंडिका के अनुसार |

## वाद प्रश्न क्रमांक 01 पर निष्कर्ष के आधार

11. आवेदक रामविलास झुलेकर (आ0सा0क्रमांक–1) ने कथन किया है कि उसका पुत्र अश्वन झुलेकर हृदय निषाद के फैमिली गाडी चार पहिया वाहन को चलाने के लिए छुरिया गया हुआ था। उसने आगे कथन किया है कि हृदय निषाद की फैमिली चार पहिया वाहन को चला कर हृदय निषाद के घर में ही गाडी को छोड दिया था। उसने आगे कथन किया है कि उसके पुत्र अश्वन झुलेकर अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल की मोटर सायकिल से घर आ रहा था, उसी समय ग्राम घोघरे के राईस मिल के सामने एक मोटर सायकिल चालक बस को ओवरटेक करते हुए सामने से उसके पुत्र अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर दिया। उसने आगे कथन किया है कि उस एक्सीडेंट से उसके पुत्र अश्वन झुलेकर को गंभीर चोट आने के कारण छुरिया के शासकीय अस्पताल ले गये थे।

12. आवेदक रामविलास झुलेकर ने कथन किया है कि उसके पुत्र अश्वन झुलेकर को छुरिया शासकीय अस्पताल से जिला अस्पताल, राजनांदगांव रेफर कर दिये थे और शासकीय जिला अस्पताल, राजनांदगांव से तुरंत रायपुर अस्पताल रेफर कर दिये थे। उसने आगे कथन किया है कि जिला अस्पताल, राजनांदगांव से रेफर करने पर उसने अश्वन झुलेकर को स्पर्श हॉस्पिटल, भिलाई में भर्ती किया था। उसने आगे कथन किया है कि 24 घंटा के अंदर उसने अपने पुत्र अश्वन झुलेकर को रायपुर के व्ही.वाय. हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया था। उसने आगे कथन किया है कि करीब 8–10 दिन के बाद उसके पुत्र अश्वन झुलेकर को शासकीय

अस्पताल,मेकाहारा, रायपुर में ले जाकर भर्ती किया था और उसी अस्पताल में ईलाज के दौरान उसके पुत्र अश्वन झुलेकर की मृत्यु हो गई।

13. आवेदक रामविलास झुलेकर (आ0सा0क्रमांक–1) ने थाना छुरिया जिला राजनांदगॉव के अपराध क्रमांक 175/2019 के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–1),प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–2), मर्ग इंटीमेंशन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–3), मृतक अश्वन झुलेकर की नक्शा पंचायतनामा की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–4), अपराध विवरण/नजरी नक्शा की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–5), संपत्ति जप्ती पत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–6), शव परीक्षण के आवेदन और शव परीक्षण के प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–8) तथा अश्वन झुलेकर के व्दारा चलायी जा रही मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08ए.एम. 1509 के बीमा पॉलिसी की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–9) पेश की है।

14. उक्त दस्तावेज के अनुसार मृतक कन्हैया धनकर के व्दारा दिनांक 8.10.2019 को मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल.4562 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ग्राम घोघरे राईस मिल के पास मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर अश्वन झुलेकर की मृत्यु कारित किया है।

15. न्यायदृष्टांत **दी ओरिएण्टल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती गंगी मंडावी वगैरह एम.ए.सी.क्रमांक 906/2022** एवं न्यायदृष्टांत **सुनीता वगैरह विरूद्ध राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन वगैरह ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 994** में यह प्रतिपादित सिद्धांत पारित किया गया है कि मोटर

दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दुर्घटना को प्रमाणित करना होता है। जहाँ दुर्घटना प्रमाणित हो जाती है, वहाँ दावा अधिकरण का कार्य सिर्फ क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना होता है। दुर्घटना से संबंधित उपेक्षा को प्रमाणित करने के लिए कोई कठोर साक्ष्य एवं समस्त संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए मृतक कन्हैया धनकर व्दारा दिनांक 8.10.2019 को मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एल.4562 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ग्राम घोघरे राईस मिल के पास मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर अश्वन झुलेकर की मृत्यु कारित करना प्रमाणित होता है। अतः इस वादप्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष **"हाँ"** में दिया जाता है।

**<u>वादप्रश्न क्रमांक–2 पर सकारण निष्कर्ष :–</u>**

16. अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी की ओर से थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 179/2019 धारा 279, 337, 304–ए भारतीय दंड संहिता का अंतिम प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–3),धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अप्राकृतिक मृत्यु के पंजीकरण की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–4), थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 179/2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–5), मृतक कन्हैया कुमार की नक्शा पंचायतनामा की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–6), अपराध विवरण/नजरी नक्शा की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–7), अपराध क्रमांक 179/2019 की जप्ती पत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–8), रामगोपाल यादव की मोटर सायकिल की बीमा पॉलिसी की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–9) पेश किया है। उक्त

दस्तावेज के अनुसार अश्वन झुलेकर के व्दारा मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08ए.एम. 1509को तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाकर कन्हैया धनकर को एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित किया है।

17. थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 179/2019 अंतर्गत धारा 279, 337, 334–ए भारतीय दंड संहिता के अंतिम प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–3), प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–5) में मृतक अश्वन झुलेकर के व्दारा दिनांक 8.10.2019 को 19.30 बजे ग्राम घोघरे राईस मिल के सामने, छुरिया चिचोला मेनरोड में मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी. 08ए.एम. 1509 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर कन्हैया धनकर को एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित करना लिखा हुआ है। थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 179/2019 में अश्वन झुलेकर के व्दारा मोटर सायकिल क्रमांक सी जी 08 ए.एम.1509 को तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाकर कन्हैया धनकर को एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित किया है, इसलिए उक्त दुर्घटना में कन्हैया धनकर और अश्वन झुलेकर का बराबर की योगदायी उपेक्षा होना प्रतीत होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक–2 का निष्कर्ष **" हॉ '** में दिया जाता है।

## वादप्रश्न क्रमांक–3 पर सकारण निष्कर्ष :–

18. थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 175/2019 के जप्ती पत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–6) में मोटर सायकिल क्रमांक सी जी 08 ए.एल.4562 के साथ उसकी बीमा पॉलिसी को जप्त करने का उल्लेख है। उसी जप्ती पत्रक में बीमा पॉलिसी का समय, दिनांक 11.7.2019 से दिनांक 10.7.2020 तक लिखा हुआ है। उस जप्ती पत्रक में उल्लेखित बीमा पॉलिसी

को अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है। जप्तीपत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–6) में ओरिएन्टल इंश्योरेंश कंपनी व्दारा बीमा करने का उल्लेख है। अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी ने दुर्घटना के समय मोटर सायकिल कमांक सी.जी. 08 ए.एल.4562 को बीमा पॉलिसी नहीं होना प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए दुर्घटना के समय मोटर सायकिल कमांक सी.जी.08 ए.एल.4562 की बीमा जीवित होने की उपधारणा की जाती है। अतः वादप्रश्न कमांक–3 का निष्कर्ष **''हॉ''** में दिया जाता है।

## वादप्रश्न कमांक–4 पर सकारण निष्कर्ष :–

19. अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने मोटर सायकिल कमांक सी जी 08 ए.एम.1509 की बीमा पॉलिसी दिनांक 17.9.2019 से दिनांक 16.9.2020 तक जीवित होने का कथन किया है और बीमा पॉलिसी की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–2) पेश किया है। अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने दुर्घटना के समय मोटर सायकिल कमांक सी जी 08 ए.एम.1509 के चालक अश्वन झुलेकर के पास डायविंग लायसेंस नहीं होने का कथन किया है।

20. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राजनांदगांव के कर्मचारी सहायक ग्रेड–3 नंद कुमार जोशी ने कथन किया है कि आर. टी. ओ.कार्यालय, राजनांदगांव में केन्द्रीय सारथी 4.0 साफटवेयर में कन्हैया धनकर के नाम से सर्च किया गया था। उस सर्च में कन्हैया धनकर के नाम से ड्रायविंग लायसेंस जारी नहीं होना पाया गया। सहायक ग्रेड–3 नंद कुमार जोशी ने

प्रति परीक्षण में कथन किया है कि केवल नाम से ड्रायविंग लायसेंस की सर्च नहीं हो पाती। उसने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि ड्रायविंग लायसेंस की सर्च के लिए ड्रायविंग लायसेंस का नंबर और चालक की जन्म तिथि साफटवेयर में डालने से ही पता होती है। उसने प्रति परीक्षण में आगे कथन किया है कि कन्हैया कुमार धनकर की जन्म तिथि को केन्द्रीय सारथी 4.0 साफटवेयर में डालने पर ही ड्रायविंग लायसेंस की सर्च होगी। सहायक ग्रेड–3 नंद कुमार जोशी ने कन्हैया कुमार की जन्म तिथि को साफटवेयर में डाले बिना ड्रायविंग लायसेंस की सर्च किया है, इसलिए कन्हैया कुमार के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं होना अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के व्दारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

21. अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क मे कहा है कि मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर के पास दुर्घटना के समय हल्का वाहन को चलाने के लिए लायसेंस था, मोटर सायकल को चलाने के लिए लायसेंस नही थी, इसलिए बीमा के शर्तो का उल्लंघन हुआ है और इसलिए आवेदकगण मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एम. 1509 की बीमा करने वाली बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक–1 से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

22. अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के व्दारा थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 179/2019 के जप्ती पत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–8) को पेश किया है। उस जप्ती पत्रक की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श डी–8) में मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08 ए.एम. 1509 के साथ उसकी आर.सी.बुक,

बीमा पॉलिसी और अश्वन झुलेकर की ड्रायविंग लायसेंस को जप्त करने का उल्लेख है। अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी ने मोटर सायकिल क्रमांक सी जी 08 ए.एम.1509 के चालक अश्वन झुलेकर के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं होना प्रमाणित नहीं किया है। उक्त मोटर सायकिल क्रमांक सी जी 08 ए.एम. 1509 की बीमा पॉलिसी है,इसलिए अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के व्दारा अश्वन झुलेकर और अनावेदक क्रमांक–2 रामगोपाल यादव के व्दारा बीमा की शर्तो का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है। अतःवादप्रश्न क्रमांक–4 का निष्कर्ष " **नहीं** " में दिया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक–5 पर सकारण निष्कर्ष :–**

23. अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क मे कहा है कि मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एम. 1509 के चालक अश्वन झुलेकर तीसरा पक्षकार नही है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी से मृतक अश्वन झुलेकर के विधिक प्रतिनिधि आवेदकगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह सही है कि मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एम. 1509 को मृतक अश्वन झुलेकर घटना के समय चला रहा था, इसलिए अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी के लिए मृतक अश्वन झुलेकर तीसरा पक्षकार नही है और इसलिए मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एम. 1509 के बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 01 से आवेदकगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

24. अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क मे कहा है कि आवेदकगण के द्वारा मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 एम.एल 4562

के मृत चालक कन्हैया धनकर के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 एम.एल 4562 के चालक कन्हैया धनकर की मृत्यु उसी एक्सीडेंट में हो गयी है। मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 एम.एल 4562 की बीमा अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी के द्वारा किया गया है, इसलिए कन्हैया धनकर के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है।

25. थाना छुरिया के अपराध क्रमांक 175/2019 के जप्ती पत्रक की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.– 6 मे मृतक कन्हैया धनकर के द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.एल. 4562 के साथ बीमा पॉलिसी को भी जप्त करने का उल्लेख है और उसी जप्ती पत्रक मे अनावेदक क्रमांक 01 ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा दिनांक 11.07.2019 से दिनांक 10.07.2020 के लिए बीमा किये जाने का उल्लेख है और इसलिए आवेदकगण और अनावेदक क्रमांक 03 श्रीमती सरिता, अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है।

26. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी. 08 एम.एल. 4562 के चालक कन्हैया धनकर और मोटर सायकिल क्रमांक सी जी 08 ए.एम.1509 के चालक अश्वन झुलेकर की बराबर योगदायी उपेक्षा के कारण आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ है और इसलिए उक्त दोनों मोटर सायकल चालक कन्हैया कुमार धनकर एवं अश्वन झुलेकर की मृत्यु हो गई है। अश्वन झुलेकर की योगदायी उपेक्षा के कारण कन्हैया धनकर

से एक्सीडेंट हुआ है। दोनों चालक एक्सीडेंट के लिए बराबर योगदायी है। कन्हैया के द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल कमांक 08 एम.एल. 4562 की बीमा पॉलिसी अनावेदक कमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा किया गया है, जो घ टना के समय जीवित थी, इसलिए मृतक अश्वन झुलेकर के विधिक प्रतिनिधि आवेदकगण तथा अनावेदक कमांक 03 श्रीमती सरिता कुल क्षति में से 50 प्रतिशत् क्षतिपूर्ति राशि को अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी से प्राप्त करने के अधिकारी है।

27. आवेदक कमांक–1 रामविलास मृतक अश्वन झुलेकर का पिता है, आवेदिका कमांक–2 श्रीमती सिया बाई मृतक अश्वन झुलेकर की मॉ है और आवेदिका कमांक–3 कुमारी अश्वनी मृतक अश्वन झुलेकर की बहन है, अनावेदक कमांक–3 श्रीमती सरिता मृतक अश्वन झुलेकर की पत्नी है, इसलिए आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 03 श्रीमती सरिता, अनावेदक कमांक–1 बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी हैं।

28. आवेदक रामविलास झुलेकर (आ0सा0कमांक–1) ने अश्वन झुलेकर के ईलाज में हुए खर्च के बिल (प्रदर्श पी–21 से प्रदर्श पी–60 तक) पेश किया है। प्रदर्श पी–45 से प्रदर्श पी–48 एडवांस बिल है, उक्त बिल प्रदर्श पी–45 से प्रदर्श पी–48 में उल्लेखित राशि फायनल बिल प्रदर्श पी–44 में उल्लेखित है, इसलिए प्रदर्श पी–45 से प्रदर्श पी–48 में उल्लेखित राशि को आवेदकगण को नहीं दिलाया जा रहा है। प्रदर्श पी–58 रिफण्ड बिल है, इसलिए प्र.पी. 58 में उल्लेखित राशि को नही दिया जा रहा है। प्रदर्श पी–49 एवं प्रदर्श पी–50 एडवांस बिल कुल रूपये 30,000.00 का है। प्रदर्श पी–51

स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल भिलाई का पेशेण्ट इन्वेस्टीगेशन डिटेल कुल 14,420.00 रूपये का है। अतः दवाई खरीदी बिल (प्रदर्श पी–21 से प्रदर्श पी–43) के अनुसार 68249.00 रूपये, बिल प्रदर्श पी–44 के अनुसार 1,22,330.00 रूपये, प्रदर्श पी–49,50 एवं 51 के अनुसार 44,420.00 रूपये, प्रदर्श पी–52,53,54,55, 56, 57, प्रदर्श पी–59 एवं प्रदर्श पी–60 के अनुसार 14,917.00 रूपये, इस प्रकार कुल 2,49,916.00 रूपये आवेदकगण ने अश्वन झुलेकर के ईलाज/दवाई खरीदी के मद में खर्च किया है। अतः आवेदकगण मृतक अश्वन झुलेकर के ईलाज में हुए खर्च की राशि 2,49,916.00 प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

29. आवेदक रामविलास झुलेकर ने कथन किया है कि दुर्घटना के पहले उसका पुत्र अश्वन झुलेकर छुरिया के हृदय निषाद की चार पहिया फैमिली गाडी को चलाने का काम करता है। उसने आगे कथन किया है कि उक्त कार्य से प्रतिमाह 15,000.00 रूपये कमाते थे । आवेदक रामविलास झुलेकर ने मृतक अश्वन झुलेकर के व्दारा चार पहिया वाहन चालक का कार्य के कार्य करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और उसके समर्थन में किसी का परीक्षण भी नहीं कराया है , इसलिए यह अधिकरण मृतक अश्वन झुलेकर को ड्रायवरी का कार्य करना नहीं मानती है और मृतक अश्वन झुलेकर के व्दारा प्रतिमाह 15,000.00 रूपये आय अर्जित करना नहीं मानती है।

30. यह अधिकरण मृतक अश्वन झुलेकर को अकुशल श्रमिक मानती है और अकुशल श्रमिक को मिलने वाली मजदूरी के हिसाब से क्षतिपूर्ति

राशि निर्धारित किया जाना उचित होगा। दुर्घटना दिनांक 8.10.2019 की है। मृतक अश्वन झुलेकर ग्राम हालेकोसा,थाना छुरिया का रहने वाला था। कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 7449/स0वि0लि0/1/2019 राजनांदगांव दिनांक 25.10.2019 एवं कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0रायपुर की अधिसूचना क्रमांक–आठ/न्यू.बे./श्र.आ./2019/6465 रायपुर दिनांक 19.9.2019 एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.5.1982 के अनुसार जोन–स में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरें के अनुसार मृतक अश्वन झुलेकर की प्रतिमाह मजदूरी 8600.00/–रूपये मान लिया जाता है, जिसपर 12 का गुणा करने पर मृतक अश्वन झुलेकर की कुल वार्षिक आय 1,03,200.00 रूपये होती है।

31. शव परीक्षण आवेदन और प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–8) के अनुसार मृत्यु के समय अश्वन झुलेकर की उम्र 28 वर्ष थी, इसलिए न्याय दृष्टांत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी व अन्य एस.एल.पी. नंबर 25590/2014 आदेश दिनाँक 31 अक्टूबर 2017** के अनुसार 1,03,200.00 रूपये में भावी उपार्जन के लिए 40 प्रतिशत की बढोतरी की जा रही है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय ₹ 1,03,200.00 + ₹ 41,280.00 = ₹ 1,44,480.00 होती है। इस प्रकार मृतक अश्वन झुलेकर की **वार्षिक आय 1,44,480.00 रूपए(अक्षरी एक लाख चौंवालीस हजार चार सौ अस्सी रूपए)** होगी । मृतक अश्वन झुलेकर के एक पिता,मॉ और एक बहन और एक पत्नि हैं, इसलिए **न्याय दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन**

**निगम एवं एक अन्य 2009 (।।) दु.मु.प्र.161 (सु.को.)** के अनुसार कुल आय में से 1/4 भाग कटौती किया जा रहा है अर्थात 1,44,480.00 रूपये में 36120.00 रूपये कटौती करने पर रूपये मृतक अश्वन झुलेकर की वार्षिक आय 1,08,360.00 रूपये होगी।

32. शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चूंकि मृतक अश्वन झुलेकर की आयु दुर्घटना के समय 28 वर्ष थी, अतः **न्याय दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य 2009 (।।) दु.मु.प्र.161 (सु.को.) के अनुसार** आश्रितता की हानि की गणना के लिए 17 का गुणक लागू होगा। इस प्रकार **आश्रितता की कुल हानि 1,08,360.00 X 17 =** 18,42,120.00 **(अक्षरी अठ्ठारह लाख बियालिस हजार एक सौ बीस रूपये)** होती है।

33. इसी प्रकार **माननीय न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी व अन्य एस.एल.पी. नं. 25590/2014 आदेश दिनाँक 31 अक्टूबर 2017** में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार **अन्त्येष्टि की राशि ₹ 15,000, सम्पदा की हानि हेतु ₹ 15,000** एवं माननीय न्याय दृष्टांत **Civil Appeal No. 9581/2018 S.L.P. (Civil) No. 3192/2018 Magma General Insurance co. Ltd. Vs. Nanu Ram Alias Chuhru Ram & Ors. Or. Dtd. 18 Sep. 2018** के अनुसार **(Loss of Filial Consortium)** के लिये राशि **₹ 40,000** प्रदान की जाती है अर्थात् **कुल ₹ 70,000/–**

निर्धारित की जाती है। आगे न्याय दृष्टांत **प्रनय सेठी के निर्णय की कण्डिका 61 उपण्डिका 8 अनुसार** उपरोक्त मदों में देय राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया गया है। अतएव आवेदकगण को उक्त सभी मदों में कुल **₹ 77,000/— (अक्षरी सतहत्तर हजार रूपए)** निर्धारित कर प्रदान किया जाता है।

34. अश्वन झुलेकर की योगदायी उपेक्षा के कारण कन्हैया धनकर से एक्सीडेंट हुआ है। दोनों चालक एक्सीडेंट के लिए बराबर योगदायी हैं, इसलिए मृतक अश्वन झुलेकर के विधिक प्रतिनिधि आवेदकगण एवं मृतक अश्वन झुलेकर की पत्नी अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता कुल क्षतिपूर्ति राशि 18,42,120.00 + 77,000 राशि 19,19,120.00 **( उन्नीस लाख उन्नीस हजार एक सौ बीस रूपये)** में से 50 प्रतिशत् आश्रितता की राशि 9,59,560.00.( नौ लाख उनसठ हजार पांच सौ साठ रूपये) को अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी से प्राप्त करने के अधिकारी है।

35. इस प्रकार आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता को दवाई खरीदी/उपचार मद में रूपये 2,49,916.00 एवं आश्रितता के मद में रूपये 9,59,560.00 कुल 12,09,476.00**( रूपए बारह लाख नौ हजार चार सौ छिहत्तर )** की क्षति होना निर्धारित किया जाता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक–5 का निष्कर्ष **" आवेदकगण एवं मृतक अश्वन झुलेकर की पत्नी अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी से** 12,09,476.00**( रूपए बारह लाख नौ हजार चार सौ छिहत्तर ) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं "** में दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक–06 सहायता एवं वाद व्यय** :–

36. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण के द्वारा आंशिक रूप से दावा को प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अतः निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

**1.** यहकि, अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता को 12,09,476.00 **( रूपए बारह लाख नौ हजार चार सौ छिहत्तर )** क्षतिपूर्ति राशि एक माह के अन्दर अधिकरण के माध्यम से अदा करेगा।

**2.** यहकि, उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर दावा प्रस्तुति दिनाँक 16.7.2022 से अंतिम अदायगी तक **06 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज अनावेदक क्रमांक–1 बीमा कंपनी आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता को अदा करेगी।

**3.** यह कि उक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 03 श्रीमती सरिता बराबर–बराबर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

**4.** यहकि, उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि अधिकरण में जमा होने पर अपने हिस्से में से **आवेदक क्रमांक 01 रामविलास** को 1,00,000.00 **रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए), आवेदिका क्रमांक–2 श्रीमती सिया बाई को** 1,00,000.00 **रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए) एवं आवेदिका क्रमांक–3 कुमारी अश्वनी को** 1,00,000.00

**रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए) एवं अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता को 1,00,000.00 रूपये (अक्षरी एक लाख रूपए)** नगद भुगतान किया जाए और उनके हिस्से की शेष राशि को आवेदक क्रमांक–1 रामविलास, आवेदिका क्रमांक–2 श्रीमती सिया बाई , आवेदिका क्रमांक–3 कुमारी अश्वनी एवं अनावेदक क्रमांक–3 श्रीमती सरिता के नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 03 वर्ष की अवधि हेतु सावधि जमा योजना के तहत विनियोजित की जाए।

**5.** यह कि, आवेदकगण ने यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त किया हो, तो उक्त राशि एवार्ड की मूल राशि में समायोजित किया जावे।

**6.** यह कि,अनावेदक क्रमांक –1 बीमा कंपनी स्वंय के साथ–साथ आवेदकगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

**7.** अधिवक्ता शुल्क ₹ 2,000 (अक्षरी दो हजार रूपए) निर्धारित किया जाता है।

**तद्नुसार व्यय–तालिका बनाई जावे।**

राजनांदगांव (छ0ग0)

दिनांक 27.11.2024

**मेरे निर्देशन पर टंकित ।**

सही/–

(थॉमस एक्का)

अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

जिला–राजनाँदगांव(छ.ग.)